ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)

कार्यवृत्त

विद्या–परिषद् की 18 वीं बैठक

09 अगस्त, 2012

सभा–कक्ष

भाषा–विद्यापीठ

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद् की 18वीं बैठक का कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की विद्या–परिषद् की 18वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में 09 अगस्त 2012 को दोपहर 01.00 बजे भाषा विद्यापीठ के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए–

- श्री विभूति नारायण राय : अध्यक्ष / कुलपति
- प्रो. अरविंदाक्षन : सदस्य / प्रतिकुलपति
- प्रो. अंबा कुलकर्णी : सदस्या
- प्रो. मनोज कुमार : सदस्य
- प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल : सदस्य
- प्रो. लेला कारुण्यकरा : सदस्या
- प्रो. अनिल कुमार राय : सदस्य
- प्रो. कृष्ण कुमार सिंह : सदस्य
- प्रो. संतोष कुमार भदौरिया : सदस्य
- प्रो. रामवीर सिंह : सदस्य
- प्रो. सुरेश शर्मा : सदस्य
- डॉ. मैत्रेयी घोष : सदस्या
- डॉ. सी. अन्नपूर्णा : सदस्या
- डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी : सदस्य
- डॉ. शंभू गुप्त : सदस्य
- डॉ. कृपाशंकर चौबे : सदस्य
- डॉ. प्रीति सागर : सदस्य
- डॉ. फरहद मलिक : सदस्य
- डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय : सदस्य
- डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी : सदस्य
- डॉ. एच. ए. हुनगुंद : सदस्य
- डॉ. अनिल कुमार दुबे : सदस्य
- डॉ. उमेश कुमार सिंह : सदस्य
- डॉ. सुरजीत कुमार सिंह: सदस्य
- श्री धनजी प्रसाद : सदस्य
- सुश्री चित्रलेखा अंशु : सदस्या
- डॉ. कैलाश खामरे : पदेन सचिव / कुलसचिव

बैठक में उपर्युक्त सभी सदस्य उपस्थित हुए। प्रो. बिजेन्द्र नारायण सिन्हा, प्रो. शंभूनाथ तथा प्रो. तुलसीराम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के आरंभ में विश्वविद्यालय के वर्तमान कार्यपरिषद् के सदस्य स्व. डॉ. सुभाष पाण्डेय तथा भाषा विद्यापीठ के प्रोफेसर स्व. महेन्द्र सी पाण्डेय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया। तत्पश्चात पदेन सचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष से बैठक की कार्रवाई आरंभ करने का अनुरोध किया।

कार्यसूची एवं अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत अन्य विषय के अंतर्गत सभी मुद्दों पर विचार–विमर्श के बाद सर्वसम्मति से लिए गये निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:–

01. विद्या–परिषद् की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन :–

विद्या–परिषद् की 17वीं बैठक 28 फरवरी 2012 को भाषा विद्यापीठ के सभा कक्ष में आयोजित की गयी थी जिसका कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की नवीं बैठक के कार्यवृत्त के साथ संलग्न आठवीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 02 (5) के पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया गया। मद संख्या 02 के शेष बिंदुओं को स्कूल बोर्ड में रखा जाये।

02. विद्या–परिषद् की 17वीं बैठक के निर्णयों के अनुपालन में की गयी कार्रवाई

विद्या–परिषद् की 16वीं बैठक दिनांक 28 अप्रैल 2011 में अनुमोदित प्रकरण के संदर्भ में की गयी कार्रवाई माननीय विद्या–परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मद सं.	विवरण	की गयी कार्रवाई
01	**विदेशी विद्यार्थियों से ली जाने वाली शुल्क के संदर्भ में** निर्णय : अनुमोदित	अनुपालित
02	**शोध निर्देशक के रूप में डॉ. शंभु गुप्त को निर्धारित सीमा से अतिरिक्त एक शोधार्थी श्रीमती रश्मि लालबिहारी, (मॉरीशस) दिये जाने को कार्योत्तर स्वीकृति :–** निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।	अनुपालित
03	**कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र के परियोजना प्रस्तावों पर विचार हेतु :–** निर्णय : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव में शामिल किया जाये।	अनुपालित
04	**अंशकालिक पी–एच. डी. आरंभ करने हेतु विचारार्थ** निर्णय : इस प्रस्ताव को सभी विद्यापीठों में भेजकर उनकी राय / टिप्पणी ली जाये तथा विद्या परिषद् की अगली बैठक में रखा जाये।	अनुपालित
05	**एम. ए. पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया में साक्षात्कार में छूट देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति:–** निर्णय : एम. ए. के सभी पाठ्यक्रमों में साक्षात्कार का प्रावधान किया जाये। साक्षात्कार में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों को निकटतम मार्ग से रेल की द्वितीय श्रेणी (शयनयान श्रेणी) का आने–जाने का किराया देने के संबंध में वित्ताधिकारी से टिप्पणी प्राप्त कर कुलपति को प्रस्तुत करेंगे। साक्षात्कार संबंधित विभागों द्वारा आयोजित किया जाये।	अनुपालित
06	**मॉरीशस के शोधार्थी श्री तरनदेव जगरनाथ के एम. फिल.डायस्पोरा प्रवेश को कार्योत्तर स्वीकृति देने हेतु** निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।	अनुपालित

07	**निर्धारित सीट के अतिरिक्त श्री चाउ वेई के पी–एच. डी. प्रवेश को कार्योत्तर स्वीकृति देने हेतुः–** निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।	अनुपालित
08	**अहिंसा एवं शांति अध्ययन में श्री रविशंकर के पी–एच. डी. पंजीयन मामले पर विचार तथा श्री मिथिलेश कुमार को पी–एच. डी. उपाधि प्रदान किये जाने पर अनुमोदन हेतुः–** निर्णय : अ) विद्या परिषद् द्वारा विचार विमर्श कर श्री रविशंकर सिंह को बिना फेलोशिप के पी एच. डी. की अनुमति दी गयी। प्रो. कारुण्यकारा द्वारा इस निर्णय पर असहमति जतायी गयी। किंतु विद्या परिषद के शेष सभी सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। ब) श्री मिथिलेश कुमार को पी–एच. डी. उपाधि दिये जाने को अनुमोदित किया गया।	अनुपालित
09	**अकादमिक सत्र 2012–2013 के अकादमिक कैलेंडर अनुमोदनार्थ :–** निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
10	**एम. ए. के छात्रों के लिए हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषा में डिप्लोमा अनिवार्य करने पर स्वीकृति हेतु** निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
11	**पूर्व मौखिकी प्रस्तुति तथा शोध प्रबंध जमा कराने की अवधि के संबंध में अध्यादेश संख्या 45/2009 में संशोधन करने के संबंध में :–** निर्णय : विभागाध्यक्ष तथा विषय विशेषज्ञ के दृष्टिकोण में यदि शोध प्रबंध में कोई बड़ा बदलाव (Major Change) नहीं है तो पूर्व मौखिकी प्रस्तुति सम्पन्न होने के तीन माह के भीतर तथा बड़ा बदलाव होने की स्थिति में पूर्व मौखिकी प्रस्तुति सम्पन्न होने के छह माह के भीतर शोध प्रबंध जमा करना होगा।	अनुपालित
12	**बी. बी. ए. षष्ठ सत्र की अध्ययन सामग्री पर स्वीकृति :–** निर्णय : अध्यक्ष की अनुमति से रखे गये विषय के अंतर्गत इस पर समुचित निर्णय लिया गया।	अनुपालित
13	**ISSN नंबर की बजाय शोध एवं शोध–पत्रों की स्तरीयता को महत्व देने के प्रस्ताव पर विचारार्थ :–** निर्णय : यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विद्यापीठ ISSN नंबर प्राप्त पत्रिकाओं के अतिरिक्त ऐसी पत्रिकाओं की सूची प्रस्तुत करे जिनमें स्तरीय सामग्री प्रकाशित होती है। विद्या–परिषद् विचारोपरांत ऐसी पत्रिकाओं को भी मान्यता प्रदान करने पर विचार करेगी।	साहित्य एवं संस्कृति विद्यापीठ से प्राप्त सूची अवलोकनार्थ संलग्न
14	**सुश्री कविता बिसारिया को पी–एच. डी. उपाधि प्रदान किये जाने की स्वीकृति :–** निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
15	**क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद में सत्र 2012–2013 में नियमित पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव विचारार्थ :–** निर्णय : सभी प्रस्ताव बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव शामिल किये जा रहे हैं।	अनुपालित
16	**बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाने वाले विभागों/संकायों/केंद्रों/निदेशालयों आदि के प्रस्तावों पर अनुमोदन प्राप्ति हेतु प्रस्तुत।** निर्णय : इस प्रस्ताव को निम्न सुझावों के साथ अनुमोदित किया गया: 1. डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र को दो केंद्रों में विभाजित किया जाये। अ) डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर दलित केंद्र ब) कान्हू सिद्धू जनजाति अध्ययन केंद्र	अनुपालित

	2. Department of Painting & Design को Department of Painting किया जाये। 3. Department of Graphics को Department of Graphics & Design किया जाये। 4. Department of Library को Department of Library & Information Science किया जाये। 5. Department of Development Culture & Political Studies को बदलकर Department of Sustainable Development & Political Strategies किया जाये।	
17	**विश्वविद्यालय के अकादमिक अध्यादेश क्रमांक–2 में संशोधन, उत्तर–पुरितकाओं के मूल्यांकन की मानदेय राशि तथा एम.फिल. पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर की अनिवार्यता संबंधी परीक्षा विभाग के प्रस्ताव।** निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
18	**महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्ताव।** निर्णय : प्रस्ताव संख्या 1– बीबीए के षष्ठ सत्र में द्वि–विशेषज्ञता सुविधा। प्रस्ताव संख्या 3– दूरस्थ शिक्षा के अधीन संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में क्रेडिट स्थानांतरण (बाह्य एवं आंतरिक)। प्रस्ताव संख्या 4– दूरस्थ शिक्षा के अधीन संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में मुक्त प्रस्थान। प्रस्ताव संख्या 5– एम. ए. हिंदी का पाठ्य विवरण। उक्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। प्रस्ताव संख्या 2 को अस्वीकृत कर यह सूचित किया गया कि महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केंद्र का नाम परिवर्तित कर दूर शिक्षा निदेशालय किया जाये जो कि किसी भी विद्यापीठ के अंतर्गत न रह कर अन्य निदेशालयों की तरह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।	अनुपालित
19	**छात्र प्रतिनिधि सुश्री चित्रलेखा अंशु द्वारा आगंतुकों के आगमन–प्रस्थान के संबंध में पंजिका में विवरण दर्ज करने का प्रस्ताव दिया गया।** निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
20	**प्रो. उमाशंकर उपाध्याय द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि अतिथि अध्यापक को 250 रूपये प्रति व्याख्यान के स्थान पर 1000 रूपये प्रति व्याख्यान दिया जाये।** निर्णय : वित्ताधिकारी इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधान विद्या–परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।	अनुपालित
21	**मानवविज्ञान विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 03–04 अक्टूबर 2011 का कार्यवृत्त पर अनुमोदन :–** निर्णय : संस्कृति विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत स्कूल बोर्ड की कार्यसूची में उक्त विषय सम्मिलित है।	अनुपालित
22	**संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की आठवीं बैठक दिनांक 18 जनवरी 2012 का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ :–** निर्णय : मद संख्या दो छोड़कर शेष अनुमोदित।	अनुपालित
23	**डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर दलित एवं आदिवासी अध्ययन केंद्र की शोध उपाधि समिति की पहली बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ :–** निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
24	**साहित्य विद्यापीठ के अध्ययन मंडल एवं स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 20.02.2012 का कार्यवृत्त विद्या–परिषद की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :–** निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
25	**भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड का कार्यवृत्त तथा भारतीय विदेशी भाषा प्रगत**	अनुपालित

	अध्ययन केन्द्र के प्रबंधन मंडल का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :– निर्णय : अनुमोदित।	
26	अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग के अध्ययन मंडल एवं विभागीय शोध उपाधि समिति की बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ :– निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
27	अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग की शोध उपाधि समिति की पंचम बैठक (दिनांक 22 फरवरी, 2012) का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ :– निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
28	संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 22 फरवरी 2012 को आयोजित नवीं बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ :– निर्णय : मद संख्या 1 एवं 2 के अंतर्गत एम. फिल. शोध निर्देशक की अर्हता तथा एम. फिल. पी. एच. डी. समेकित करने और तीन सेमेस्टर किये जाने के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष अपनी टिप्पणी अध्यादेश संशोधन समिति को प्रस्तुत करें। अध्यादेश संशोधन समिति अपनी अनुशंसा विद्या–परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत करे।	अनुपालित
29	यह प्रस्तावित किया जाता है कि मानवविज्ञान विभाग तथा संचार एवं मीडिया अध्ययन केन्द्र को संस्कृति विद्यापीठ के स्थान पर मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के अंतर्गत लाया जाये। निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
30	यह प्रस्तावित किया जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी के अलावा एक अन्य भारतीय/विदेशी भाषा का अध्ययन अनिवार्य हो। निर्णय : मद संख्या 12 के अनुसार।	अनुपालित
31	यह प्रस्तावित किया जाता है कि एम. ए. हिंदी (तुलनात्मक साहित्य) सत्र 2012–13 से एम. ए. हिंदी साहित्य का ही हो। एम. फिल./पी–एच. डी. स्तर के पाठ्यक्रम में तुलनात्मक साहित्य पूर्ववत जारी रहेगा। उक्त पाठ्यक्रम में चयनित विद्यार्थी को हिंदी के अलावा एक अन्य भारतीय भाषा जानना अनिवार्य होगा। निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
32	कुलाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत चार नये विद्यापीठों में से विधि विद्यापीठ (School of Law) का नाम परिवर्तित कर सृजन विद्यापीठ (School of Creativity) किया जाये। निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
33	कुलपति द्वारा अधिनियम संख्या 12 (3) के तहत नियुक्तियों के लिए नामित बाह्य विशेषज्ञों को कार्योत्तर स्वीकृति दी जाये। निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।	अनुपालित
34	शोधार्थी प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों विचारार्थ प्रस्तुत। निर्णय : 1. चूंकि अभी विभिन्न विभागों में पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है अतः फिल्डहॉल पुस्तकालय के प्रथम तल में शोधार्थियों हेतु सामान्य कक्ष की व्यवस्था की जाये। 2. विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना आरंभ करने के संबंध में प्रतिकुलपति द्वारा सूचित किया गया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य समन्वयक से कई बार सम्पर्क करने पर भी कोई सकारात्मक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में वित्ताधिकारी को राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य समन्वयक, पुणे से व्यक्तिगत	1 अनुपालित 2 अनुपालित 3. अनुपालित

	सम्पर्क करने हेतु कहा गया। 3. केंद्रीय वाचनालय में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रिकायें उपलब्ध करायी जायें। 4. सावित्री बाई फुले महिला छात्रावास में महिला गार्ड की तैनाती की जाये। 5. चतुर्थ छमाही के विद्यार्थियों को परियोजना राशि दिये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया। 6. एम. फिल. के शोधार्थियों के लघु शोध प्रबंध को जमा करने की तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की गयी। 7. नेट / जे.आर.एफ. सेल के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। 8. शोध प्रबंध जमा करने पर शोधार्थियों को मौखिकी तक अतिथि शोधार्थी के रूप में छात्रावास में रहने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया तथापि उन्हें मौखिकी के समय अतिथि शोधार्थी के रूप में रहने की सुविधा दी जाये। 9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एक Research Exclusive का कॉलम बनाया जाये जिसमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की अतिविशिष्ट उपलब्धियों का विवरण डाला जाये। 10. विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए प्रति वर्ष एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। 11. छात्रावास संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए कुलानुशासक, छात्रावास अधीक्षक तथा विशेष कर्तव्याधिकारी (परिसर विकास) छात्रावास का निरीक्षण कर आवश्यक अनुशंसा दें। 12. शीतावकाश तथा ग्रीष्मावकाश के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों से अवगत कराया गया। 13. शोधपरक योगदान हेतु ISSN पंजीयन युक्त उच्च मानकता प्राप्त शोध जर्नल के प्रकाशन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। 14. विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा लघु एवं वृहद परियोजना कार्य के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भेजा गया। **15.** विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल के गठन के प्रस्ताव को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव में शामिल किया जाये।	4. प्रक्रियाधीन 5. अनुपालित 6. प्रक्रियाधीन 7. प्रक्रियाधीन 8. अनुपालित 9. प्रक्रियाधीन 10. प्रक्रियाधीन 11. अनुपालित 12. अनुपालित 13. प्रक्रियाधीन 14. अनुपालित 15. अनुपालित
35	**संस्कृति विद्यापीठ के अधिष्ठाता द्वारा महात्मा गांधी फ्यूजी गुरूजी शांति अध्ययन केंद्र, डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र, संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र तथा डॉ. भदन्त आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र संबंधी अध्यादेश संख्या क्रमशः 35, 36, 46 एवं 47 में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया।** निर्णय : कार्य परिषद् की अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।	प्रक्रियाधीन

निर्णय : विद्या–परिषद् ने सूचना ग्रहण की।

03 . **विश्वविद्यालय द्वारा डी. लिट. की उपाधि दिये जाने संबंधी अध्यादेश अनुमोदनार्थ :–**

विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट. की उपाधि दिये जाने संबंधी अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **(डी.लिट. अध्यादेश का प्रारूप संलग्न)**

निर्णय : अनुमोदित।

04. **पी–एच. डी. नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन का शुल्क अनुमोदनार्थ प्रस्तुतः–**

अकादमिक सत्र 2012–13 के लिए प्रकाशित विवरणिका में पी–एच. डी. नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन का शुल्क प्रकाशित/मुद्रित नहीं किया जा सका था। नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन विभाग के अध्यक्ष प्रो. सुरेश शर्मा ने यह शुल्क 5245/– (पाँच हजार दो सौ पैंतालीस रूपये) करने का प्रस्ताव दिया था जिसे कुलपति महोदय ने अनुमोदित किया। विद्या–परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।

05. **प्रतिकुलपति महोदय द्वारा प्रस्तुत सुझाव विचारार्थः–**

प्रतिकुलपति महोदय ने कई सुझाव दिये हैं जिन पर विचार किया जाना है:–

1. एम. फिल. संबंधी अध्यादेश बनाकर विद्या–परिषद् में पारित किया जाये। (अध्यादेश का प्रारूप संलग्न)
2. पी–एच. डी. अध्यादेश संख्या 8.2 संशोधित किया जाये। (संशोधन का प्रारूप संलग्न)
3. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत 04 नये पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव तथा ई–लर्निंग का प्रस्ताव।
4. सामूहिक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test) संचालित करने का प्रस्ताव।

निर्णय : उक्त सुझावों पर सभी सदस्य अपनी राय प्रस्तुत करें।

06. **नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन विभाग को सृजन विद्यापीठ के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुतः–**

नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन विभाग को सृजन विद्यापीठ के अंतर्गत लाया गया है। तत्संबंधी अधिसूचना जारी की जा चुकी है जिसे कार्योत्तर स्वीकृत्ति दी जानी है।

निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।

07. **श्री अजय कुमार सरोज को पी–एच. डी. नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन में प्रवेश को कार्योत्तर स्वीकृतिः–**

श्री अजय कुमार सरोज ने पी–एच. डी. नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन में प्रवेश हेतु आवेदन दिया था जिस पर कुलपति महोदय ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन विभाग से टिप्पणी मांगी थी जिस पर विभागाध्यक्ष के सकारात्मक टिप्पणी के आधार पर कुलपति महोदय ने दृष्टिहीन शोधार्थी श्री अजय कुमार सरोज को पी–एच. डी. नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन में प्रवेश की अनुमति दी। उक्त प्रकरण विद्या–परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।

08. श्री तरनदेव जगरनाथ को पी–एच. डी. मानवविज्ञान में **प्रवेश को कार्योत्तर स्वीकृतिः–**

श्री तरनदेव जगरनाथ को पी–एच. डी. मानवविज्ञान में प्रवेश दिया गया है जिसे विद्या–परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति रखा जा रहा है।

निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।

09. मराठी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का पुनर्प्रवेश अनुमोदनार्थ प्रस्तुतः–

मराठी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के कुछ विद्यार्थियों ने आवेदन दिया कि वे अपरिहार्य कारणवश परीक्षा में नहीं बैठ सके अतः उनकी जमा की गयी राशि को अगले सत्र के लिए स्वीकृत कर अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति दें। विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 5.1 (f) के अनुसार ऐसे प्रकरण को विद्या–परिषद् के समक्ष रखने का प्रावधान है अतः प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : शुल्क जमा करने की अनिवार्यता के साथ अनुमोदित।

10. सुश्री चित्रा माली को पी–एच. डी. की उपाधि प्रदान करने को अनुमोदनः–

सुश्री चित्रा माली ने पी–एच. डी. का शोध प्रबंध जमा कर दिया है तथा 28 फरवरी 2012 को सफलतापूर्वक मौखिकी संपन्न हो गयी। विभाग की शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 30 अप्रैल 2012 के कार्यवृत्त की मद संख्या 01 पर लिये गये निर्णय के अनुसरण में सुश्री चित्रा माली को पी–एच. डी. की उपाधि प्रदान किये जाने को अनुमोदनार्थ विद्या–परिषद् के समक्ष रखा जा रहा है।

निर्णय : अनुमोदित।

11. अंशकालिक पी–एच. डी. पाठ्यक्रम आरंभ करने के संबंध मेंः–

विद्या–परिषद् की 17वीं बैठक के मद संख्या 06 पर लिये गये निर्णय के अनुसरण सभी विद्यापीठों में इस विषय पर राय मांगी गयी। जिसके प्रत्युत्तर में निदेशक, प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र, विभागाध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग तथा कार्यकारी निदेशक, बौद्ध अध्ययन केंद्र से ही सिफारिशें प्राप्त हुई। प्रकरण को विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ रखा जा रहा है। **(पत्रों की छायाप्रति संलग्न)**

निर्णय : उक्त उल्लेखित विभागों को छोड़कर अन्य विभाग/केंद्र अपनी राय प्रस्तुत करें।.

12. अंतिम तिथि के बाद आवेदकों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने को कार्योत्तर स्वीकृतिः–

विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी कई विद्यार्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने का आवेदन दिया था। समस्त आवेदनों को कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों के अकादमिक भविष्य को ध्यान में रखकर कुलपति महोदय ने रिक्त सीटों वाले पाठ्यक्रमों में 100 रूपये विलंब शुल्क लेकर प्रवेश देने का निर्देश दिया। उक्त प्रकरण विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : अनुमोदित।

13. पी–एच. डी. अध्यादेश में शैक्षणिक कर्मियों को लिखित परीक्षा में छूट देने का प्रावधान शामिल करने का प्रस्तावः–

विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पत्रांक स्था/830/2012/म.गां.अ.हि.वि. दिनांक 12 जुलाई 2012 के अनुसरण में पी–एच. डी. अध्यादेश में शैक्षणिक कर्मियों को लिखित परीक्षा में छूट देने के प्रावधान को शामिल किया जाना है। विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अभिमत प्राप्त किया जाये।

14. छँटनी समिति के प्रस्ताव पर विचारः–

अकादमिक सत्र 2012–13 के लिए प्रवेश आवेदनों की छँटनी के लिए गठित समिति ने कई सुझाव दिये। 1) संबंधित विषय में एम. फिल. उत्तीर्ण आवेदक को पी–एच. डी. की लिखित परीक्षा में छूट दिया जाये। 2) नेट/स्लेट/जेआरएफ उत्तीर्ण आवेदकों को एम.फिल. में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा से छूट दी जाये।

निर्णय : नेट/जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एम. फिल./पी–एच. डी. की लिखित परीक्षा से छूट दी जाये।

15. श्री रमेश चन्द्र पाठक को पी–एच. डी. जनसंचार की उपाधि दिये जाने पर अनुमोदनः–

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के अधिष्ठाता तथा संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रो. अनिल कुमार राय 'अंकित' के पत्रांक 26/2004/सीसीएमएस/3557/2012 दिनांक 02 अगस्त 2012 के अनुसरण में श्री रमेश चन्द्र पाठक को पी–एच. डी. की उपाधि प्रदान किया जाना है। शोधार्थी की मौखिकी 26 अप्रैल 2012 को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। केंद्र की शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 08 अगस्त 2012 की मद संख्या 02 पर उन्हें पी–एच. डी. उपाधि दिये जाने का निर्णय लिया गया जो विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : अनुमोदित।

16. डॉ. भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थः–

डॉ. भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केन्द्र के प्रभारी अध्यक्ष ने बौद्ध अध्ययन में एम. फिल. तथा पी–एच. डी. आरंभ करने तथा पी. जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने संबंधी प्रस्ताव दिया है जो विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : अनुमोदित।

17. मानवविज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुत पी. जी. डिप्लोमा इन फोरेंसिक सांइस के संशोधित पाठ्य–विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुतः–

मानवविज्ञान विभाग के अध्यक्ष ने पी. जी. डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस का संशोधित पाठ्य–विवरण स्कूल बोर्ड की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रस्तुत किया है जो विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : उक्त प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें।

18. भाषा प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थः–

भाषा प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष ने एम. ए. हिंदी (भाषा प्रौद्योगिकी) के पाठ्यक्रम की संरचना में परिवर्तन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : उक्त प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें।

19. **एम. ए. में प्रवेशित विद्यार्थियों को अनिवार्य किये गये डिप्लोमा का शुल्क आधा करने का निर्णय अनुमोदनार्थ प्रस्तुतः–**

एम. ए. पाठ्यक्रमों में अनिवार्य डिप्लोमा करने का प्रावधान वर्तमान अकादमिक सत्र 2012–13 से आरंभ किया गया है किंतु डिप्लोमा का शुल्क अधिक होने के कारण अनेक विद्यार्थियों ने आर्थिक विवशता जाहिर की। इस स्थिति को ध्यान में रखकर अनिवार्य डिप्लोमा का शुल्क आधा करने का निर्देश कुलपति महोदय ने दिया। जिस पर विद्या–परिषद् से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी है।

निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।

20. **संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र की शोध उपाधि समिति की दिनांक 08 अगस्त 2012 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थः–**

संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र की शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 08 अगस्त 2012 को संपन्न हुई। उक्त बैठक का कार्यवृत्त विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : अनुमोदित।

21. **दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत नये पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्तावः–**

दूर शिक्षा निदेशालय ने भविष्य में संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों (PGDRD, PGDDM, DTS) का प्रस्ताव है जिनका पाठ्यविवरण विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : अनुमोदित।

22. **ऑनलाइन पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्तावः–**

दूर शिक्षा निदेशालय से आईकेसी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम आरंभ करने का सुझाव दिया है।

निर्णय : सैद्धाँतिक रूप से अनुमोदित। यदि इस संबंध में प्रो. संतोष भदौरिया , प्रोफेसर (दूरस्थ शिक्षा) अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करना चाहें तो अविलंब सूचित करें।

23. **संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 08 अगस्त 2012 का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थः–**

संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 08 अगस्त 2012 का कार्यवृत्त विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : अनुमोदित।

24. छात्र/शोधार्थी प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत 11 बिंदुओं का प्रस्ताव विचारार्थः–

छात्र/शोधार्थी प्रतिनिधि श्री धनजी प्रसाद ने विद्यार्थियों/शोधार्थियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर आधारित 11 बिंदुओं का प्रस्ताव दिया है जो विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
1	नेट/जेआरएफ की परीक्षा देने में आवेदन एवं परीक्षा केंद्र संबंधी हो रही समस्याओं को देखते हुए विश्वविद्यालय को नेट/जेआरएफ परीक्षा केंद्र बनाये जाने का यूजीसी को प्रस्ताव दिया जाये।	कुलपति महोदय ने सूचित किया कि प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में विचाराधीन है।
2	विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं, शोधार्थियों को वर्धा के सरकारी चिकित्सालयों (कम से कम सेवाग्राम चिकित्सालय) में इलाज कराने पर विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाये, जैसा कि दूसरे विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है और इस विश्वविद्यालय द्वारा भी पहले किया जाता था।	–इस संबंध में महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम से जानकारी प्राप्त कर कार्ड की राशि, नियमित वार्षिक शुल्क में जोड़कर कार्रवाई की जा सकती है। –डीन, छात्र कल्याण सभी विश्वविद्यालयों में जारी चिकित्सा सुविधा की जानकारी प्राप्त करें।
3	एम. फिल/पीएच. डी. में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि समाप्त होने पर यदि कोई स्थान रिक्त रह जाये तो संबंधित स्थान हेतु प्रतीक्षा सूची जारी की जाये।	एम. फिल. की प्रतीक्षा सूची जारी की जाती है। पी–एच. डी. हेतु भी प्रतीक्षा सूची जारी की जाये।
4	शोध प्रबंध जमा करने के पश्चात मौखिकी की अधिकतम समय सीमा तय की जाये।	भविष्य में प्रयास किया जायेगा।
5	सभी छात्र छात्राओं, शोधार्थियों हेतु छात्रावास का समुचित प्रबंध किया जाये। जिन शोधार्थियों का पी–एच. डी. द्वितीय वर्ष हो, कम से कम उन्हें एकल कक्ष की व्यवस्था की जाये।	स्थान की समस्या के कारण अभी संभव नहीं। स्थान उपलब्ध होने पर भविष्य में विचार किया जायेगा।
6	हिंदी (भाषा प्रौद्योगिकी) से जुड़े छात्रों/शोधार्थियों को उपाधि प्राप्त करने के पश्चात आवेदन एवं साक्षात्कार के समय होने वाली समस्याओं को देखते हुए पाठ्यक्रम का नाम केवल "भाषा प्रौद्योगिकी" कर दिया जाये।	सभी सदस्य अपनी राय से अवगत करायें।
7	छात्र/छात्राओं/शोधार्थियों के केवल विषय के ज्ञान के बजाय उनमें बहुमुखी प्रतिभा के विकास हेतु यदि इस विश्वविद्यालय में यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था हो सके तो शैक्षिक माहौल एवं गुणवत्ता में सुधार होगा।	डीन, छात्र कल्याण इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
8	विश्वविद्यालय में अन्य विश्वविद्यालयों की तरह रेलवे आरक्षण केंद्र खोला जाये। क्योंकि छात्र तो टिकट के लिए स्टेशन चले जाते हैं परंतु छात्राओं को स्टेशन जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और तत्काल के लिए तो वे मुश्किल से ही टिकट ले पाती हैं।	इस संबंध में रेलवे डीआरएम को प्रस्ताव भेजा जाये।
9	केंद्रीय डाकघर में कुछ पत्रों जैसे साक्षात्कार आदि के लिए आये पत्रों के बारे में तिथि समाप्त होने के बाद पता चल पाता है। अतः विश्वविद्यालय को जो डाकघर मिला है उसे छात्रावास एवं निवास संबंधित पत्रों को प्रति व्यक्ति/घर तक पहुंचाने दिया जाये एवं कार्यालयी पत्रों को केंद्रीय डाक घर में मंगाया जाये।	विद्यार्थियों की डाक अलग तथा कार्यालय की डाक अलग भेजने हेतु डाकघर को पत्र लिखा जाये।
10	दोहरी डिग्री (हार्वर्ड विश्वविद्यालय) में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है। क्या यह अपने विश्वविद्यालय में किया जा सकता है? पूरे भारत में इस विश्वविद्यालय की विशिष्ट छवि है अतः हमारे विश्वविद्यालय द्वारा कुछ ऐसी विशिष्ट सेवायें देते हुए अपने अंतरराष्ट्रीय स्वरूप एवं विशिष्टता को बनायें रखने के लिए कुछ अन्य सेवाये जोड़ने पर विचार किया जाना चाहिए।	कुलपति महोदय ने जानकारी दी कि कुलपतियों के सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। विश्वविद्यालयों के बीच एमओयू और क्रेडिट हस्तांतरण का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मंत्रालय के पास विचाराधीन है।
11	विद्या–परिषद् की 17वीं बैठक में शोधाथी प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत कुछ प्रस्तावों का पुनः उल्लेखः– **(क)** आइएसएसएन पंजीयनयुक्त उच्च मानकता प्राप्त शोध जर्नल के प्रकाशन कार्य किया जाये।	–हर महीने के पहले सप्ताह में कुलानुशासक, छात्रावास अधीक्षक एवं विशेष कर्त्तव्य अधिकारी (परिसर विकास) छात्रावासों का निरीक्षण

	(ख) छात्रावास संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु कुलानुशासक, छात्रावास अधीक्षक एवं विशेष कर्त्तव्य अधिकारी (परिसर विकास) प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार सूचित करके छात्रावासों का भ्रमण करें।	करें।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

1. **स्त्री अध्ययन विभाग की दिनांक 08 अगस्त 2012 को संपन्न शोध उपाधि समिति की बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थः–**

   स्त्री अध्ययन विभाग की दिनांक 08 अगस्त 2012 को शोध उपाधि समिति की बैठक संपन्न हुई जिसका कार्यवृत्त विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

   निर्णय : अनुमोदित।

2. **क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद के प्रभारी प्रो. संतोष भदौरिया ने *'अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान'* तथा *'उर्दू भाषा* में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव दिया है। विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुतः–**

   क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद के प्रभारी प्रो. संतोष भदौरिया ने इलाहाबाद केंद्र से 'अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान' तथा 'उर्दू भाषा' में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव दिया है जिसे विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

   निर्णय : अनुमोदित।

3. **विकलांग विद्यार्थियों को आरक्षण देने का प्रस्तावः–**

   विकलांग विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश में आरक्षण देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

   निर्णय : विश्वविद्यालय की सत्र 2012–13 के लिए प्रकाशित विवरणिका में विकलांगों को आरक्षण दिये जाने का प्रावधान प्रकाशित किया गया है।

4. **अनुरक्षक भत्ता (Escort Allowance) दिये जाने का प्रस्तावः–**

   अनुरक्षक भत्ता (Escort Allowance) दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

   निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जाये।

(डॉ. कैलाश खामरे)
पदेन सचिव : विद्या–परिषद् (कुलसचिव)
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा (महाराष्ट्र)